सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023 / 123

दर्ज तिथिः—21.06.2023

1. हरलाल पुत्र मूलाराम
   जाति जाट निवासी रामपुरा, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.................वादी

बनाम

1. भुराराम पुत्र मूलाराम
2. दानाराम पुत्र मूलाराम
3. डालूराम पुत्र मूलाराम
4. भैराराम पुत्र डालूराम
5. मगनाराम पुत्र डालूराम
6. जसिया पुत्र डालूराम
7. टीपू पत्नी दानाराम
8. मूली पत्नी मगनाराम
9. चनणी पत्नी हरलाल
10. जवाराराम पुत्र भीखाराम
11. जैसाराम पुत्र रूपाराम
12. तेजाराम पुत्र देराजराम
13. तीजों पत्नी भैराराम
14. भंवरलाल पुत्र खेताराम
15. मूली पत्नी खेताराम
16. महादेव पुत्र भैराराम
17. रिड़मलराम पुत्र मोतीराम
18. लाखाराम पुत्र मोतीराम
19. कुम्भाराम पुत्र मोतीराम
20. मिरगा पत्नी मोतीराम
21. आईदानराम पुत्र मगाराम
22. चूनाराम पुत्र खूमाराम
23. मोटाराम पुत्र मगाराम
    जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

............असल.प्रतिवादीगण

24. शाखा प्रबन्धक,राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना
25. तहसीलदार / उपपंजियक धोरीमन्ना

..............तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

हरलाल बनाम भूराराम
2023/123
निर्णय दिनांकः–02.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीगणः–एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–02.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 66/0.0243 है0, 469/68/0.1456 है0, 68/8/5.0505 है0, 470/68/5.9328 है0, 124/4.3787 है0, 68/6/0.8094 है0, 54/2.7519 है0, 55/0.4532 है0, 56/0.0081 है0 वाके ग्राम रामपुरा,पटवार हल्का अरणियाली, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामील अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार [illegible] से मौकात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक [illegible] कोर्ट/आए.ए/2025/753 दिनांक 01.04.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

हरलाल बनाम भूराराम
2023/123
निर्णय दिनांकः–02.05.2025

नियम–18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 10.03.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमना के नोटिस क्रमांक/भू.अ./2025/315 दिनांक 6.2.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 10.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक कोर्ट/2025/771–796 दिनांक 24.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 10.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 66/0.0243 है0, 469/68/0.1456 है0, 68/8/5.0505 है0, 470/68/5.9328 है0, 124/4.3787 है0, 68/6/0.8094 है0, 54/2.7519 है0, 55/0.4532 है0, 56/0.0081 है0 वाके ग्राम रामपुरा,पटवार हल्का अर[illegible] तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त व[illegible]क्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती [illegible] की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण [illegible] हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्ष[illegible] की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा 53 [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी मय स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 66 / 0.0243 है0, 469 / 68 / 0.1456 है0, 68 / 8 / 5.0505 है0, 470 / 68 / 5.9328 है0,

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

हरलाल बनाम भूराराम
2023 / 123
निर्णय दिनांकः—02.05.2025

124 / 4.3787 है0, 68 / 6 / 0.8094 है0, 54 / 2.7519 है0, 55 / 0.4532 है0, 56 / 0.0081 है0 वाके ग्राम रामपुरा,पटवार हल्का अरणियाली, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण के हिस्से तालिका में बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए प्रार्थीगण का अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
1.	हरलाल पुत्र मुलाराम		68 / 8 66 469 / 68	2.3553 है0 0.0243 है0 0.1456 है0	बा.दो. गे.मु.ढा. बा.दो.	हरा
2.	हरलाल पुत्र मूलाराम चनणी पत्नी हरलाल	3050 / 4533 1483 / 4553	470 / 68	0.9066 है0	बा.दो.	हरा
3.	डालूराम पुत्र मूला दाना पुत्र मुला भूरा पुत्र मुला भैरा पुत्र डालुराम मगनाराम पुत्र डालुराम	1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 8 1 / 8	124 68 / 8	4.3787 है0 2.6952 है0	बा.दो. बा.दो.	लाल
4.	जसिया पत्नी डालूराम टीमू पत्नी दलाराम मूली पत्नी मगनाराम डालू पुत्र मूलाराम दाना पुत्र मुलाराम भूरा पुत्र मुलाराम	37 / 62 37 / 62 37 / 62 170 / 621 170 / 621 170 / 621	470 / 68	5.0262 है0	बा.दो.	लाल
5.	हरलाल पुत्र मूलाराम		54	0.1208 है0	चा.चारम	हरा
6.	चन्दना पुत्र मुला डालू पुत्र मुला दाना पुत्र मुला भूरा पुत्र मुला जवाराराम पुत्र भीखा लालू पुत्र भीखा जैसाराम पुत्र रूपा मोतीराम पुत्र रूपा सोना पुत्र रूपा तेजाराम पुत्र देराजराम तीजो पत्नी भेराराम महादेव पिता भेराराम वभूताराम पुत्र भेराराम रामाराम पुत्र खेताराम भंवरलाल पुत्र खेताराम मूली पत्नी खेताराम	1 / 16 1 / 16 1 / 16 1 / 16 1 / 8 1 / 8 5 / 64 5 / 64 1 / 32 1 / 16 1 / 48 1 / 48 1 / 48 1 / 16 1 / 16 1 / 16	68 / 6	0.8094 है0	बा.दो.	पीला
7.	मोटा,आईदान पुत्र मफा कुम्भा,रिड़मल,लाखा पुत्र मोती मिरगो पत्नी मोती चन्दना,डालू,दाना,भूरा पिता	113 / 325 11 / 325 27 / 325	54	2.6311 है0	चा.चारम	आसमानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

	हरलाल चुना पुत्र खुमाराम जवारा,लालू पुत्र भीखा जैसा,सोना पुत्र रूपा तेजाराम पुत्र देराज वभूता,महादेव पुत्र भेराराम भंवराराम ,रामाराम पुत्र खेता,मूली पत्नी खेता	 57/325 42/325 21/325 11/325 11/325 32/325				
8.	मोटा पुत्र मफा आईदान पिता मफा कुम्भा पुत्र मोती रिड़मल पुत्र मोती लाखा पुत्र मोती मिरगो पत्नी मोती चन्दना पुत्र हरलाल डालू पुत्र हरलाल दाना पुत्र हरलाल भूरा पुत्र हरलाल चुनाराम पुत्र खूमाराम जवाराराम पुत्र भीखा लालु पुत्र भीखा जैसा पुत्र रूपा सोना पुत्र रूपा तेजाराम पुत्र देराज वभूताराम पुत्र भैरा महादेव पुत्र भैरा तीजों पत्नी भेरा भंवराराम पुत्र खेता रामाराम पुत्र खेता मूली पत्नी खेता	1/6 1/6 1/128 1/128 1/128 1/128 1/32 1/32 1/32 1/32 1/6 1/6 1/6 1/32 1/32 1/32 1/96 1/96 1/96 1/32 1/32 1/32	55 56	0.4532 है0 0.0081 है0	बा.सोयम गै.मुमकिन	आसमानी
		किता 09 रकबा 19.4287 हैक्टेयर				

उक्तानुसार वादीगण के हिस्से (उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 1) के अनुसार वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा [illegible] आसामी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। [illegible] अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

हरलाल बनाम भूराराम
2023 / 123
निर्णय दिनांक:—02.05.2025

यह निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(भागीरथ राम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

हरलाल बनाम भूराराम
2023 / 123
निर्णय दिनांकः–02.05.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023 / 123 — दर्ज तिथिः–21.06.2023

1. हरलाल पुत्र मूलाराम
   जाति जाट निवासी रामपुरा, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

..................वादी

बनाम

1. भुराराम पुत्र मूलाराम
2. दानाराम पुत्र मूलाराम
3. डालूराम पुत्र मूलाराम
4. भैराराम पुत्र डालूराम
5. मगनाराम पुत्र डालूराम
6. जसिया पुत्र डालूराम
7. टीपू पत्नी दानाराम
8. मूली पत्नी मगनाराम
9. चनणी पत्नी हरलाल
10. जवाराराम पुत्र भीखाराम
11. जैसाराम पुत्र रूपाराम
12. तेजाराम पुत्र देराजराम
13. तीजों पत्नी भैराराम
14. भंवरलाल पुत्र खेताराम
15. मूली पत्नी खेताराम
16. महादेव पुत्र भैराराम
17. रिड़मलराम पुत्र मोतीराम
18. लाखाराम पुत्र मोतीराम
19. कुम्भाराम पुत्र मोतीराम
20. मिरगा पत्नी मोतीराम
21. आईदानराम पुत्र मगाराम
22. चूनाराम पुत्र खूमाराम
23. मोटाराम पुत्र मगाराम
    जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील धोरीमना,जि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

.........असल.प्रतिवादीगण

24. शाखा प्रबन्धक,राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक [illegible] धोरीमना
25. तहसीलदार / उपपंजियक धोरीमना

................तकमीली प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

हरलाल बनाम भूराराम
2023 / 123
निर्णय दिनांकः—02.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 66 / 0.0243 है0, 469 / 68 / 0.1456 है0, 68 / 8 / 5.0505 है0, 470 / 68 / 5.9328 है0, 124 / 4.3787 है0, 68 / 6 / 0.8094 है0, 54 / 2.7519 है0, 55 / 0. 4532 है0, 56 / 0.0081 है0 वाके ग्राम रामपुरा,पटवार हल्का अरणियाली, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण के हिस्से तालिका में बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए प्रार्थीगण का अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
1.	हरलाल पुत्र मुलाराम	1 / 5	68 / 8 66 469 / 68	2.3553 है0 0.0243 है0 0.1456 है0	बा.दो. गे.मु.ढा. बा.दो.	हरा
2.	हरलाल पुत्र मूलाराम चनणी पत्नी हरलाल	3050 / 4533 1483 / 4553	470 / 68	0.9066 है0	बा.दो.	हरा
3.	डालूराम पुत्र मूला दाना पुत्र मुला भूरा पुत्र मुला भैरा पुत्र डालु मगनाराम पुत्र डालु	1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 8 1 / 8	124 68 / 8	4.3787 है0 2.6952 है0	बा.दो. बा.दो.	लाल
4.	जसिया पत्नी डालूराम टीमू पत्नी दलाराम मूली पत्नी मगनाराम डालू पुत्र मूलाराम दाना पुत्र मुलाराम भूरा पुत्र मुलाराम	37 / 62 37 / 62 37 / 62 170 / 621 170 / 621 170 / 621	470 / 68	5.0262 है0	बा.दो.	लाल
5.	हरलाल पुत्र मूलाराम		54	[illegible] है0	चा.चारम	हरा
6.	चन्दना पुत्र मुला डालू पुत्र मुला दाना पुत्र मुला भूरा पुत्र मुला जवाराराम पुत्र भीखा लालू पुत्र भीखा	1 / 16 1 / 16 1 / 16 1 / 16 1 / 8 1 / 8	68 / 6	0.8094 है0	बा.दो.	पीला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

	जैसाराम पुत्र रूपा मोतीराम पुत्र रूपा सोना पुत्र रूपा तेजाराम पुत्र देराजराम तीजो पत्नी भेराराम महादेव पिता भेराराम वभूताराम पुत्र भेराराम रामाराम पुत्र खेताराम भंवरलाल पुत्र खेताराम मूली पत्नी खेताराम	5/64 5/64 1/32 1/16 1/48 1/48 1/48 1/16 1/16 1/16				
7.	मोटा,आईदान पुत्र मफा कुम्भा,रिड़मल,भाखा पुत्र मोती मिरगो पत्नी मोती चन्दना,डालू,दाना,भूरा पिता हरलाल चुना पुत्र खुमाराम जवारा,लालू पुत्र भीखा जैसा,सोना पुत्र रूपा तेजाराम पुत्र देराज वभूता,महादेवा पुत्र भेराराम भंवराराम ,रामाराम पुत्र खेता,मूली पत्नी खेता	113/325 11/325 27/325 57/325 42/325 21/325 11/325 11/325 32/325	54	2.6311 है0	चा.चारम	आसमानी
8.	मोटा पुत्र मफा आईदान पिता मफा कुम्भा पुत्र मोती रिड़मल पुत्र मोती लाखा पुत्र मोती मिरगो पत्नी मोती चन्दना पुत्र हरलाल डालू पुत्र हरलाल छाना पुत्र हरलाल भूरा पुत्र हरलाल चुनाराम पुत्र खूमाराम जवाराराम पुत्र भीखा लालु पुत्र भीखा जैसा पुत्र रूपा सोना पुत्र रूपा तेजाराम पुत्र देराज वभूताराम पुत्र भैरा महादेव पुत्र भैरा तीजों पत्नी भेरा भंवराराम पुत्र खेता रामाराम पुत्र खेता मूली पत्नी खेता	1/6 1/6 1/128 1/128 1/128 1/128 1/32 1/32 1/32 1/32 1/6 1/6 1/6 1/32 1/32 1/32 1/96 1/96 1/96 1/32 1/32 1/32	55 56	0.4532 है0 0.0081 है0	बा.सोयम गै.मुमकिन	आसमानी
	किता 03 रकबा 19.42[illegible] हैक्टेयर					

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

हरलाल बनाम भूराराम
2023/123
निर्णय दिनांकः–02.05.2025

उक्तानुसार वादीगण के हिस्से (उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 1) के अनुसार वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/5/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना, बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested